

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उनवान :

वादीगण

1. अशोकसिंह पुत्र शम्भूसिंह
2. नेपालसिंह पुत्र शम्भूसिंह
जाति राजपूत निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. शम्भूसिंह पुत्र विरसिंह
2. भीमसिंह पुत्र भैरसिंह
3. कल्याणसिंह पुत्र विरसिंह
जाति राजपूत निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा राणाप्रताप बजारगुड़ामालानी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

दावा बाबत 88, 40, 188 RTA

मुकदमा नम्बर :-16...../2020

निर्णय दिनांक :-30.11.2021 (कैम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय लूणवा जागीर)

वादीगण की ओर से श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण व वादीगण स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.11.2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी ग्राम लूणवा जागीर के खेत खसरा नम्बर 456, 476, 511, 151 रकबा कमशः 26-00, 73-18, 26-19, 60-02, ग्राम भोलागर नगर के खेत खसरा नम्बर 314 रकबा 21-16 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 शम्भूसिंह पुत्र विरसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

क्रमांक: वाचक/2021/847

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।

(प्रमोद कुमार)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडोल
दिनांक : 30/11/21



(प्रमोद कुमार)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडोल